Paper VI - International Law (अंतर्राष्ट्रीय कानून)
Prepared by Dr. D. P. Sinha, Associate Prof., G.D. College, Begusarai

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण
[Codification of International Law]

संहिताकरण से अभिप्राय है किसी जटिल विषय के नियमों को सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और सुस्पष्ट रूप से संग्रहीत करना। संहिताकरण का लक्ष्य है अन्तर्राष्ट्रीय कानून को व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध करना। विस्तृत अर्थमें संहिताकरण से अभिप्राय न केवल विद्यमान नियमों को संहिता के रूप में प्रस्तुत करना होता है वरन् समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें उपयुक्त संशोधन करना भी होता है। संहिताकरण का कार्य विधि निर्माण न होकर सावधानीपूर्वक प्रारूप बनाना है। वास्तव में संहिताकरण विधि के क्रमिक विकास का एक उपाय है। वर्तमान विधि प्रणाली को आदर्श व्यवहार की नियमावली के अनुकूल बनाने हेतु इसका परीक्षण किया जाना ही संहिताकरण का उद्देश्य है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण से अभिप्राय है, रीति-रिवाज तथा प्रचलित कानूनों, पंच निर्णयों तथा अन्य प्रकार के नियमों को एकत्र करके एक टीका या पुस्तक का रूप देना।

सेसिल हर्स्ट [Cecil Hurst] के अनुसार,
"संहिताकरण अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अस्थिर नियमों को निश्चित करने तथा उसकी घोषणा करने तक सीमित है। इसका इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि वे नियम संतोषजनक हैं या नहीं, कालातीत हो गये हैं या वर्तमान परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं, न्यायसंगत हैं अथवा अन्यायपूर्ण।

बूल्जे के अनुसार, संहिताकरण से तात्पर्य है-

i) कानूनों का वैज्ञानिक दृष्टि से निर्धारण,
ii) पारस्परिक सम्मेलनों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या को सार्वभौम मान्यता की प्राप्ति

फेनविक के अनुसार संहिताकरण के तीन अर्थ हैं-

i) विभिन्न राज्यों के सम्बन्धों में व्यावहारिक रूप से प्रयुक्त होनेवाले नियमों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से संकलन
ii) व्यवहार में लाये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए किये जाने वाले संशोधन सहित कानून के नियमों का संकलन,

iii) राज्यों के आचरण एवं आवश्यकताओं के अनुसार सम्पूर्ण कानून व्यवस्था का पुनर्निर्माण।

ब्रायरली (Brierly) के मतानुसार, संहिताकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा -

i) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषयानुसार क्रमबद्ध प्रतिपादन होता है।

ii) इसकी व्यवस्थाएँ अधिक स्पष्टता और सरलता से निश्चित होती हैं।

iii) संदेहों का निराकरण होता है तथा

iv) नवीन नियमों की रचना होती है।

ओपेनहीम के शब्दों में, "यह वह ढंग है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विशेष नियमों से सम्बन्धित राज्यों द्वारा सामान्य सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों का समावेश होता है।"

अन्तर्राष्ट्रीय कानून अस्पष्ट, अनिश्चित एवं प्रथाओं पर आधारित है। इसमें सुधार लाने के लिए इसको संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 13 में यह प्रावधान रखा गया है कि महासभा राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए अध्ययनों की पहल करेगी और अन्तर्राष्ट्रीय के विकास तथा संहिताकरण को प्रोत्साहन देगी। ओपेनहीम के अनुसार, "अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अस्पष्टता एवं धीमी गति से आगे बढ़ने की प्रक्रिया के कारण ही संहिताकरण की मांग जोरों से बढ़ रही है।" संहिताकरण अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तरोत्तर विकास की भूमिका तैयार करता है। संहिताकरण से यह निश्चित किया जा सकता है कि किन विषयों में सुधार अथवा विकास की आवश्यकता है।

संहिताकरण की उपयोगिता : इसके निम्नलिखित लाभ हैं -

i) अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सुनिश्चितता - इनसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून स्पष्ट, सरल और सुनिश्चित बन जायेगा। इससे सम्बन्धित जटिलताएँ एवं भ्रान्तियां काफी हद तक दूर हो जायेंगी

ii) ~~न्यायाधीशों के कार्यों में सुगमता~~ - संहिताकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित परिस्थितियों के लिए स्पष्ट कानून उपलब्ध हो जायेगा तो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्य सुगम हो जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून में एकरूपता - सांहिताकरण विभिन्न देशों में प्रचलित नियमों की अनिश्चितता एवं विरोधों का दूर करके एकरूपता स्थापित करने में सफल हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून की विकास प्रक्रिया में तीव्रता - प्रथाओं पर आधारित कानून के विकास की गति धीमी होती है। यह समय एवं परिस्थिति के अनुरूप देर से ढल पाता है। संहिताबद्ध कानून शीघ्र ही समयानुकूल बन जाता है एवं कानून को अद्यतन (up-to-date) रख पाता है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून की लोकप्रियता में वृद्धि - संहिताबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून स्पष्ट और निश्चित होता है, अतः अधिक से अधिक राज्य इसके पालन के लिए प्रवृत्त होंगे, इससे इसकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विज्ञान बनना - अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सांहिताकरण होने से कानून में विज्ञान के सभी गुण यथा - स्पष्टता (clarity), एकरूपता (uniformity) और निश्चितता (exactness) आ जाते हैं। यह एक सामाजिक विज्ञान का रूप ले लेता है।

सांहिताकरण के दोष - सांहिताकरण के कुछ दोष निम्नलिखित हैं -

कानून के विकास का अवरुद्ध होना - सांहिताकरण कानून की स्वाभाविक तथा विकासशील मनोवृत्ति पर रोक लगाती है। समाज की परिवर्तनशील तथा प्रगतिशील परिस्थितियों को उपयोगी और लाभदायक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कानून में लोचशीलता हो, परन्तु, कानून के लिपिबद्ध हो जाने पर कानून में परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन सरलता से नहीं हो पाते। काउंजी के अनुसार, "सांहिताकरण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय कानून की विशेषता खो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इस प्रकार की गति और लचीलापन चाहिए, ताकि वह समूह की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को मोड़ सके। जब तक आवश्यकतानुसार सामंजस्य की समझौता नहीं होगी, तब तक यह जीवित नहीं माना जाता।"

जीवन्तता का समाप्त होना - सांहिताकरण करते समय कानून-निर्माता नियमों की बारीकी से जाँच करते हैं। कानूनी रूप

रूप से उनको परिभाषित करने की प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्वाभाविक रूप को समाप्त कर देती है जिससे उसकी जीवन्तता नष्ट हो जाती है।

कानूनी विवाद उत्पन्न होना - संहिताकरण से कानूनी विवादों तथा तर्कों में वृद्धि होती है जिनके कारण उनके मध्य समझौता नहीं हो पाता। उदाहरणार्थ, 1930 में राष्ट्रसंघ ने यह प्रयास किया था कि कुछ कानूनों को संहिताबद्ध कर ले, किन्तु वह सफल नहीं हो सका।

राज्यों की मनोवृत्ति के प्रतिकूल - कानूनों को संहिताबद्ध करना विभिन्न राज्यों की मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं है। वे यद्यपि सन्धियों में विश्वास रखते हैं, किन्तु उनको संहिताबद्ध करना नहीं चाहते क्योंकि पता नहीं कल क्या परिस्थितियाँ हों। इसलिए राज्य संहिताकरण के बन्धन में बँधना नहीं चाहते।

राज्य के मध्य सर्वसम्मति का अभाव - संहिताकरण की प्रक्रिया पर राष्ट्रों में सर्वसम्मति प्राप्त होना असम्भव है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र हित के अनुसार इसका अर्थ लगाता है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय कानून की गति धीमी हो जाती है।

विकासशील सिद्धान्त के विरुद्ध - अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप वास्तव में जीवित और विकासशील प्राणी के स्वरूप है। संहिताकरण उस विकासवादी सिद्धान्त के प्रतिकूल एक प्रक्रिया है। कार्डोजो के शब्दों में, रात भर के लिए यात्री को शरण देने वाली सराय उसकी यात्रा का अंतिम लक्ष्य नहीं होती; यात्री की भाँति कानून को भी कल की यात्रा के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें विकास का सिद्धान्त बना रहना चाहिए।"

संहिताकरण की कठिनाइयाँ (Difficulties of Codification)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के गर्भ में इतने विवाद तथा जटिल प्रश्न भरे हैं कि इसके सर्वसम्मति द्वारा स्वीकार किये जाने की आशा नहीं की जा सकती। कभी-कभी परिस्थितियाँ इतनी अनिश्चितता से परिपूर्ण होती हैं कि कानूनशास्त्र को इन परिस्थितियों के अनुशासन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति के सम्बन्ध में विभिन्न राष्ट्रों का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न होता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों के आधार पर संहिता बनाने में सनि लेता है। यह भावना एक ऐसी संहिता के निर्माण में बाधक है जिस पर सबकी सहमति हो।